

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
लोक सेवा आयोग,  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु स्वीकृत धनराशि रुपये-6462.95 (रुपये-चौंसठ करोड़ बासठ लाख पचचानवे हजार मात्र), जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद का नाम	धनराशि (लाख रुपयों में)
01-वेतन	3123.06
02-मजदूरी	50.00
03-मंहगाई भत्ता	312.31
04-यात्रा व्यय	71.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	250.00
07-मानदेय	80.00
08-कार्यालय व्यय	1000.00
09-विद्युत देय	120.00
10-जलकर/जल प्रभार	54.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.00
13-टेलीफोन पर व्यय	16.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	69.52
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	200.00
23-गुप्त सेवा व्यय	700.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	38.00
29-अनुरक्षण	12.00
42-अन्य व्यय	0.20
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20.00

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	26.00
49-चिकित्सा व्यय	20.00
51-वर्दी व्यय	3.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	188.36
योग-	6462.95 (रूपये-चौंसठ करोड़ बासठ लाख पच्चाणवे हजार मात्र)

2- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो। जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-20 में लेखाशीर्षक, "2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

संख्या-15/9/2017(1)-का-4-2018, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
8. कार्मिक अनुभाग-3

आज्ञा से,

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव